<u>दिनांक 10.11.2022</u>

प्रार्थी/अभियुक्त श्री धन बहादुर की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्रीमती रजनी असवाल उपस्थित। मेमो आफ ऐपीयरेन्स प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से दोषी होने के अभिवचन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 185 तथा 181 मोटर वाहन अधिनियम चालान प्रस्तुत किया गया है। दोषी होने के अभिवचन प्रस्तुत किये जाने के आधार पर अभियुक्त को अंतर्गत धारा 185 रू0 10000 (दस हजार रूपये) तथा धारा 181 रू0 5000 (पांच हजार रूपये) जुर्माने कुल 15,000 (पन्द्रह हजार रूपये) जुर्माने से दंडित किया जाता है। जुर्माना अदा करने में व्यतिक्रम करने पर अभियुक्त को 1 माह के साधारण कारावास से दण्डित किया जायेगा।

रवि प्रकाश
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पौड़ी गढ़वाल।